बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

पत्रांक : 11 / वि० 01–134 / 2007(अंश) 352 पटना, दिनांक 12/02/2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
बिहार, पटना।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः– राज्य के सरकारी मध्य / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2023–24 से दिनांक–31.01.2025 तक संचालित इनफॉर्मेशन काम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (ICT) लैब्स (बिल्ड–ऑन–ऑपरेट मॉडल (BOO Model)) के संचालन में हुए व्यय एवं देयता की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में मध्य / माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आधारभूत संरचना योजना अन्तर्गत सामग्री एवं आपूर्ति मद में उपबंधित राशि से कैबिनेट से स्वीकृत कुल ₹1,24,89,83,703 / –(एक अरब चौबीस करोड़ नवासी लाख तेरासी हजार सात सौ तीन) रूपये मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति के सम्बन्ध में

आदेश : स्वीकृत।

निदेशानुसार राज्य के सरकारी मध्य / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2023–24 से दिनांक–31.01.2025 तक संचालित इनफॉर्मेशन काम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (ICT) लैब्स (बिल्ड–ऑन–ऑपरेट मॉडल (BOO Model)) के संचालन में हुए व्यय एवं देयता की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में मध्य / माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आधारभूत संरचना योजना अन्तर्गत सामग्री एवं आपूर्ति मद में उपबंधित राशि से कैबिनेट से स्वीकृत कुल ₹1,24,89,83,703 / –(एक अरब चौबीस करोड़ नवासी लाख तेरासी हजार सात सौ तीन) रूपये मात्र की स्वीकृति विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राज्य के 4347 सरकारी मध्य / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2023–24 में Information Communication Technology (ICT) Labs (Build-Own-Operate (BOO) Model) का संचालन प्रारंभ कराया गया। Build-Own-Operate (BOO) Model के तहत संचालित Information Communication Technology (ICT) Labs का संचालन पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरी तरह से बंद किये जाने पर माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य के सरकारी मध्य / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संचालित Information Communication Technology (ICT) Labs का संचालन पूरी तरह बंद कर दी गयी है।

3. राज्य के सरकारी मध्य / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में Information Communication Technology (ICT) Labs Information Communication Technology

(ICT) Labs (Build-Own-Operate (BOO) Model) का संचालन पर होने वाले सभी प्रकार के व्यय का वहन राज्य योजना निधि से किया जाना है। राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के पत्रांक–1392 दिनांक–22.03.2025 द्वारा राज्य के सभी जिलों में अधिष्ठापित एवं संचालित Information Communication Technology (ICT) Labs (Build-Own-Operate (BOO) Model) के संचालन में व्यय की गयी राशि की प्रतिपूर्ति हेतु ₹25,91,75,895/– (पचीस करोड़ इक्यानवें लाख पचहत्तर हजार आठ सौ पंचानवे) रूपये मात्र एवं जिलों के मांग पत्र के आधार पर बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना द्वारा सभी जिलों को उपलब्ध करायी जाने वाली राशि ₹98,98,07,808/–(अंठानवे करोड़ अंठानवे लाख सात हजार आठ सौ आठ) रूपये मात्र अर्थात् कुल ₹1,24,89,83,703/–(एक अरब चौबीस करोड़ नबासी लाख तेरासी हजार सात सौ तीन) रूपये मात्र की अधियाचना प्राप्त है।

4. वित्तीय वर्ष 2024–25 में **Information Communication Technology (ICT) Labs (Build-Own-Operate (BOO) Model) के संचालन हेतु बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना को विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–04 दिनांक–16.04.2024 द्वारा कुल ₹40,00,00,000/– (चालीस करोड़) रूपये मात्र की राशि सभी संबंधित जिलों को उपलब्ध करायी जा चुकी है।**

5. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में संगत मद में उपबंधित राशि मे से बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा प्राप्त अधियाचना में व्यय की गयी राशि की प्रतिपूर्ति मांग के अनुसार बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना एवं बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।

उक्त मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा विभिन्न वादों में संवेदक को ससमय भुगतान करने के संबंध में विभाग को आदेश प्राप्त हो रहा है, जिसके कारण विभाग को प्रतिकूल स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में संवेदक को उक्त अधियाचित राशि का भुगतान किया जाना अनिवार्य है।

6. स्वीकृत राशि का विकलन मांग संख्या–21, मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष–02–माध्यमिक शिक्षा, लघुशीर्ष–001–निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष–0101–माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, विपत्र कोड–21–2202–02–001–0101, विषयशीर्ष–0101.21.01–सामग्री एवं पूर्तियां के अन्तर्गत होगा।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस योजना अन्तर्गत कुल उद्व्यय/उपबंध ₹8,97,00,00,000/–(आठ अरब संतान्वे करोड़) रूपये मात्र है, जिसमें सामग्री एवं पूर्तियां मद मे कुल ₹2,00,00,00,000/–(दो अरब) रूपये मात्र का उदव्यय/उपबंध प्राप्त है।

7. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना से प्राप्त अधियाचना के अनुसार BEPC को विमुक्त की जाने वाली राशि एवं अन्य विवरणी निम्न है:–

Sl No.	Amount	A/c Name	Account Number	IFSC Code	Bank Name/Branch Name
1	25,91,75,895/-	Samagra Shiksha BEPC, Bihar	40385607280	SBIN000153	State Bank of India, Patna Secretariat

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना से प्राप्त अधियाचना के अनुसार BSEIDC को विमुक्त की जाने वाली राशि एवं अन्य विवरणी निम्न हैः–

Sl No.	Amount	PL Account No.	Ledger Id	Ledger Name
1	98,98,07,808/-	PBBPLA005	14033	DBT

विमुक्त की जाने वाली राशि अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग द्वार **BTC-46** पर विपत्र तैयार कराकर कोषोगार पदाधिकारी, सचिवालय, कोषागार, विकास भवन, पटना के माध्यम से बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना के पी०एल० खाता–**PBBPLA005** तथा **Ledger ID-14033 Ledge Name- DBT** में राशि का अन्तरण अन्तरण जाम के द्वारा किया जायेगा। यह कार्य सी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से प्रक्रियानुसार किया जाएगा।

8. योजना का अनुश्रवण विद्यालय स्तर पर प्राचार्य/प्राचार्य, प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, राज्य स्तर पर निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा एवं बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड तथा समय–समय पर अपर मुख्य सचिव द्वारा निदेशित पदाधिकारी एवं बजट शाखा, शिक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा।

9. राशि की निकासी एवं उक्त मदों की गुणवत्ता हेतु समय–समय पर निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, पटना, बिहार तथा शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों/संकल्पों तथा आदेशों में निहित प्रावधान का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

10. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि राशि का विचलन किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

11. व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में तैयार कर उक्त कार्यकारी एजेंसी के द्वारा विभाग के माध्यम से महालेखाकार (लेखा एवं ह0) बिहार, पटना को निर्धारित अवधि में उपलब्ध करायेंगे।

12. वित्त विभाग के पत्रांक–7355, दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

13. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभागीय स्थायी आदेश संख्या–2561 दिनांक–17.07.1998 एवं वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा समय–समय निर्गत संकल्प/परिपत्रों/अन्य पत्रों में निहित निदेशों/आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

14. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 की कंडिका–03 एवं कंडिका–05 (ख) (ii) के आलोक में राशि की निकासी की जा रही है।

15. उक्त देयता की राशि की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–06.02. 2026 में प्राप्त है।

16. राशि की स्वीकृति एवं विमुक्ति के प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

17. संचिका संख्या–11/वि० 01–134/2007(अंश) के **पृष्ठ–34/टि०** पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

18. संचिका संख्या–11/वि० 01–134/2007(अंश) के **पृष्ठ–36/टि०** पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(अजय सतीश भेंगरा)

उप सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञापांकः 11/वि० 01–134/2007 (अंश)............. पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

उप सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञापांकः 11/वि० 01–134/2007 (अंश) 352 पटना, दिनांक 12/02/2026

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग/वित्त विभाग (योजना एवं बजट)/संबंधित उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा/योजना शाखा/बजट शाखा/लेखा शाखा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12.2.26

उप सचिव, शिक्षा विभाग